पूर्व से पश्चिम तक प्रलय की दहशत

नई दिल्ली, 23 जुलाई. देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और इसका असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है.

असम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर होने से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और राहत-बचाव अभियान जारी है. वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण लगातार भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं.

महाराष्ट्र से असम तक बारिश का कहर

उत्तराखंड में 99 सड़कें बंद

कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा तथा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है. महाराष्ट्र में भी बारिश का असर व्यापक है. कई शहरों और जिलों में जलभराव तथा खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है. लगातार बारिश के कारण यातायात और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व भारत में मानसूनी गतिविधियां पूरी तीव्रता से सक्रिय रहेंगी. विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है.

असम में बाढ़ से 41 की मौत

देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने हालात चिंताजनक बना दिए हैं. असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है, जहां बाढ़ और बारिश से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है. अकेले पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की जान जाने की खबर है. कई जिलों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

मनीला में भारत-ओमान के बीच रणनीतिक संवाद

खाड़ी संकट पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ओमान से की अहम बातचीत

मनीला, 23 जुलाई. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को मनीला में 'आसियान' से जुड़े कार्यक्रमों के दौरान ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की. इस बैठक में दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की.

बैठक के बाद एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, 'मनीला में ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात करके खुशी हुई. हमने खाड़ी क्षेत्र के हालिया हालात पर अपने विचार साझा किए

और आगे भी संपर्क में रहने पर सहमति बनी. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. इससे पहले दिन में जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद दोनों देशों के बीच नए क्षेत्रों में सहयोग के मौके बढ़े हैं.

> जयशंकर ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया नीदरलैंड यात्रा के नतीजों पर विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन के साथ चर्चा हुई. रणनीतिक साझेदारी बनने के बाद सेमीकंडक्टर, जल संसाधन, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खुले हैं.

आज का इतिहास

- 1783- जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया.
- 1830- चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई.
- 1834- पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ.
- 1870- अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई.
- 1911- प्रसिद्ध बाँसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म.
- 1915- सेंट्रल शिकागो में स्टीमर ईस्टलैंड की वजह से 844 लोगों की जान गई.
- 1937- प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म.
- 1941-उत्तर यूरोपीय देश लिथुनिया में सम्पूर्ण यहूदी आबादी की नाजियों ने हत्या की.

जाहिर सूचना/ उद्घोषणा

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग- महालक्ष्मी, इंदौर (म.प्र.)

लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ' निदान सेवा संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट' की ओर से अध्यक्ष श्री अश्विन कौशल पिता प्रकाश चन्द्र कौशल द्वारा कार्यालय पता 79-ए, द्रविड़ नगर रणजीत हनुमान मंदिर के समीप, इंदौर (म.प्र.) के संबंध में लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ट्रस्ट की चल संपत्ति रु.1,00,000/- एवं अचल संपत्ति शून्य दर्शाई गई है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य किसी को उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर अपने साक्ष्य एवं दस्तावेजों सहित पंजीयक, लोक न्यास अनुभाग-महालक्ष्मी, इंदौर (म.प्र.) के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

आदेशानुसार पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग-महालक्ष्मी, इंदौर (म.प्र.)

यामिनी टहल्यानी, एडवोकेट
MP/5634/2024 / मो. 9826090048

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098. CIN: U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002' के तहत 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के अधिकृत अधिकारी हैं और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में बताई गई बकाया राशि को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें; प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के उस चार्ज (दावे) के अधीन होगा जिसमें बकाया राशि के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल हैं। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एसेट्स (संपत्ति) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRNM24014645 देव बाई (स्व. भेरूलाल गुर्जर के कानूनी उत्तराधिकारी)/ स्व. भेरूलाल गुर्जर के कानूनी उत्तराधिकारी	अचल संपत्ति के अधिकार और हिस्से, जिसमें शामिल हैः घर नंबर 03, क्षेत्रफल 2070 वर्ग फुट, खसरा नंबर 51, वार्ड नंबर 07, पीएच नंबर 13, ग्राम- जेटलिया, तहसील- सिंगोली, जिला- नीमच-458226, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : गोपाल गुर्जर का घर, पश्चिम : अमरचंद गुर्जर का घर, उत्तर : आम रास्ता, दक्षिण : गोपाल गुर्जर का बाड़ा।	29-नवंबर-25/ रू. 5,85,230/- (पाँच लाख पिच्यासी हजार दो सौ तीस मात्र)	22-07-2026
2	UDRNM24018843 मनोहर, मनोहर/ जमनाबाई, जमनाबाई	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः मकान नंबर 105, आबादी सर्वे नंबर 1139, क्षेत्रफल 686 वर्ग फुट, पीएच नं. 21, ग्राम-मोदी, तहसील-जावद, जिला-नीमच-458220, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : गोपाल जी (पिता भागीरथ) का मकान, पश्चिम : आम रास्ता, उत्तर : भगतराम का मकान, दक्षिण : जगदीश का मकान।	05-मार्च-26/ रु. 5,17,572/- (पांच लाख सत्रह हजार पांच सौ बहत्तर मात्र)	22-07-2026

दिनांक : 24.07.2026, स्थानः मध्यप्रदेश — हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059।

कब्जा नोटिस

(सुरक्षा हित के नियम 8(2) के अनुसार (प्रवर्तन) नियम, 2002)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किए। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित तिथियों को। ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि और ऋण खाता सं.	संपत्ति का विवरण और कब्जे की तिथि	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.)
1. कैलाश चंद्र सौराष्ट्रिया 2. रेखा बाई सौराष्ट्रया 3. बाबू लाल सौराष्ट्रिया 4. प्रेम बाई बलाई, पताः ग्राम सेठखेड़ी, पोस्ट खोटिया नायता, तहसील शाजापुर, साखेड़ी शाजापुर, बडौद शाजापुर, मध्य प्रदेश-465001। और साथ ही, 1ए. कैलाश चंद्र सौराष्ट्रिया, पताः सर्वे क्रमांक 579/मिन.-4, पटवारी हल्का की भूमि का भाग क्रमांक 33, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील एवं जिला। शाजापुर, पिनकोड-465001. डिमांड नोटिस दिनांकः 29 अप्रैल 2026 ऋण खाता संख्या. CBIND00006829816 (PR01422729) और CBIND00007004601 (PR01452438)	जमीन का वह हिस्सा सर्वे नंबर 579/मिन-4, पटवारी हल्का नंबर 33, प्लॉट का कुल एरिया 2075 वर्ग फीट या 192.84 वर्ग मीटर, ग्राम मलिकेड़ी, तहसील और ज़िला शाजापुर, पिनकोड-465001। ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- पूर्व की ओरः कॉमन रोड, पश्चिम की ओरः आत्माराम का घर, उत्तर की ओरः विक्रेता की जमीन, दक्षिण की ओरः बाबूलाल (पिताः अमरा) का घर। प्रतीकात्मक कब्जे की तारीखः 22 जुलाई, 2026	रू. 20,42,526/- (बीस लाख बयालीस हजार पाँच सौ छब्बीस मात्र) 12 मार्च 2026 तक, साथ ही 13 मार्च 2026 से बिना लागू हुआ ब्याज,

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः शाजापुर/मध्य प्रदेश - 465001, दिनांकः 24.07.2026 — एसडी/- अधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

Chola चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Enter a better life

कॉर्पोरेट ऑफिस: "चोला क्रेस्ट", C54 और 55, सुपर B-4, तिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032

कब्जे का नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

मैं, M/s चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13 [2] के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं **1. मेसर्स संतोष टी स्टॉल एंड रेस्टोरेंट, (उधारकर्ता), 2. श्री गोपाल संतोष गोविंदा, (सह-उधारकर्ता), 3. श्री गोपाल सुनंदा संतोष, (सह-उधारकर्ता)** को **27.04.2026 (लोन अकाउंट नंबर TL01IND0000065088)** को एक डिमांड नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें नोटिस में बताई गई रकम **20.04.2026** तक **₹ 54,21,634/- (चौवन लाख इक्कीस हजार छः सौ चौंतीस रुपये मात्र)** और उसके बाद का ब्याज और शुल्क, नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं द्वारा रकम न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैंने, एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (4) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स, 2002' के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई संपत्ति का कब्जा ले लिया है **जुलाई 2026 का दिन 21 तारीख.**

उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय के बारे में है। उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन न करें; संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन **M/s चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के **₹ 54,21,634/- (चौवन लाख इक्कीस हजार छः सौ चौंतीस रुपये मात्र) (20.04.2026 तक)** के चार्ज (दावे) के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

रेसिडेंशियल प्लॉट/घर नंबर CW-268, E.W.S., पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सुखलिया, तहसील और जिला इंदौर (M.P.) का हिस्सा। कुल प्लॉट एरिया 315 वर्ग फ़ीट (29.27 वर्ग मीटर)। सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व: घर नंबर CW-269, पश्चिम: घर नंबर CW-267, उत्तर: EWS घर, दक्षिण: सड़क।

दिनांक: 21.07.2026
स्थान: इंदौर

अधिकृत अधिकारी
मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank (इलाहाबाद ALLAHABAD)

इंडियन बैंक, बंगाली चौराहा शाखा : लोखण्डवाला, कॉम्पलेक्स, गोयल नगर, बंगाली चौराहा, इन्दौर-452016(म.प्र.)

परिशिष्ठ - 4 {नियम-8(1)} आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 8 & 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **ऋणी मेसर्स विवियाना कॉस्मेटिक्स प्रोपराइटर श्रीमती विवियाना वाधवानी पति जयेश वाधवानी एवं जमानतदार श्री जयेश वाधवानी पिता भीषम वाधवानी** को हमारी **बंगाली चौराहा, शाखा** से मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र **दिनांक 05/05/2026** उक्त सूचना पत्र की दिनांक से **60 दिवस** के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि **रु.92,87,492.11 (रुपये बानवे लाख सत्तासी हज़ार चार सौ बानवे एवं ग्यारह पैसे मात्र)** उस पर ब्याज और आगे ब्याज के साथ लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को **आधिपत्य दिनांक 21 जुलाई 2026** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **रु.95,77,976/- (रुपये पिच्चानवे लाख सतहत्तर हज़ार नौ सौ छिहत्तर मात्र) दिनांक 21/07/2026** तक एवं उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

''हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों को वापस छुड़ाने के आपके अधिकारों से संबंधित हैं''।

अचल सम्पत्ति का विवरण

कमर्शियल ऑफिस नंबर 601 एवं 601-ए, 6वीं मंज़िल, इंडस्ट्री हाउस, प्लॉट नंबर 15, ओल्ड पलासिया, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) **मालिक:** श्री जयेश वाधवानी पिता श्री भीषम वाधवानी **चर्तुसीमाएँ:- फ्लेट नंबर 601 -** पूर्व: सामने एमओएस के बाद ए.बी.रोड, पश्चिम - ऑफिस नंबर 601-ए, उत्तर - बिल्डिंग का एमओएस, दक्षिण: ऑफिस नंबर 608 **फ्लेट नंबर 601-ए** - पूर्व: ऑफिस नंबर 601, पश्चिम - ऑफिस नंबर 602, उत्तर - बिल्डिंग का एमओएस, दक्षिण: सीढ़ियाँ एवं लॉबी

दिनांक : 21.07.2026
स्थान : इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक

WONDER HOME FINANCE वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.एन. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार '' वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 '' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी/गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रूपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13 (4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूची के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता/गारंटर का नाम एवं ऋण खाता संख्या	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता संख्या) LN20080HP23-24016501, श्री गौरव लोधवाल (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्रीमती रीना लोधवाल (सहऋणी)	20 जुलाई 26 Rs. 18,66,752 अट्ठारह लाख छियासठ हजार सात सौ बावन रुपए मात्र, 16 जुलाई 26 तक	श्री गौरव लोधवाल की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 16-D का D-भाग, सेक्टर डायमंड, कालिंदी गोल्ड सिटी, ग्राम भांग्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-453555, क्षेत्रफल लगभग 600.00 वर्ग फीट
(ऋण खाता संख्या) LN20082HP24-25021328, श्रीमती गीता बाई (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्री आशीष पाटीदार (सहऋणी)	20 जुलाई 26 Rs. 17,83,266 सत्रह लाख तिरासी हजार दो सौ छियासठ रुपए मात्र, 13 जुलाई 26 तक	श्रीमती गीता बाई की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित वार्ड नं. 15, मकान नं. 16/1 (नया नं. 16/3), तिलक मार्ग, रघुनाथ पुरा, गली नं. 01, तहसील एवं जिला धार, मध्य प्रदेश-454001, क्षेत्रफल लगभग 511.00 वर्ग फीट
(ऋण खाता संख्या) LN20040HP24-25027215, राहुल वर्मा पुत्र रामेश्वर वर्मा (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्रीमती मोहन बाई सेन (सहऋणी)	20 जुलाई 26 Rs. 14,05,345 चौदह लाख पाँच हजार तीन सौ पैंतालीस रुपए मात्र, 13 जुलाई 26 तक	राहुल वर्मा पुत्र रामेश्वर वर्मा की संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट नं. 39, सर्वे नं. 35/6, 35/6/1, प.ह. नं. 80, ग्राम कालीबिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-454774, क्षेत्रफल लगभग 600.00 वर्ग फीट

दिनांकः 23-07-2026
स्थानः इन्दौर, मध्य प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति लोहार्दा, जिला देवास (म. प्र.)

क्र. / मंडी/ वीओटी /2026-27 / 310 — लोहार्दा, दिनांक :- 22.07.2026

/ / निविदा आमंत्रण सूचना //

कृषि उपज मण्डी समिति लोहार्दा द्वारा ई- विडिंग / टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रांसफर (वी. ओ.टी) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 11.08.2026 को 5:30 pm तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किये जाने वाले तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार है:-

सिस्टम टेण्डर क्र.	इलैक्ट्रोनिक तौल कांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	धरोहर राशि रू.	निविदा प्रपत्र की कीमत
2026_MPSAM_523092_1	उपमण्डी प्रांगण सतवास	10 मे.टन	35000 /-	72000/-	5000/-

नोट- निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
लोहार्दा,जिला देवास (म.प्र.)

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
लोहार्दा,जिला देवास (म.प्र.)

इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, संधारण खंड क्र.-1, (इ.न.नि.) मण्डलेश्वर-451221
E-mail: eephedmdi@gmail.com

निविदा क्रमांक: 02/2026-27/लेखा/खंड क्रं. 01/न.पा.नि, मण्डलेश्वर — दिनांक-20.07.2026

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु संबंधित अनुभव रखने वाले पात्र ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय कर सकते हैं।

क्र.	ऑनलाइन निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क	धरोहर राशि (EMD)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2026_UAD-522900_1	Selection of EPC Turnkey Contractor for SITC of 01 No. 25/30 MVA, 132/33 KV Power Transformer with NIFPS, Associated Civil Works, Control & Protection System and Allied Works at Bhaklai Phase-III Narmada Water Supply Project, Mandleshwar, Madhya Pradesh	₹4.79 Cr	₹15,000/-	₹4.80 Lacs	12 माह (वर्षा ऋतु सहित) तथा 5 वर्ष का संचालन एवं अनुरक्षण (O&M)

प्रमुख तिथियाँ

क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	19.08.2026 सायं 5:30 बजे तक
2.	प्री-बिड बैठक	03.08.2026, अपराह्न 3:00 बजे
3.	ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19.08.2026, सायं 5:30 बजे तक
4.	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	21.08.2026, सायं 5:30 बजे

टिप्पणियाँ
1. निविदा दस्तावेज एवं अन्य विवरण www.mptenders.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
2. यदि निविदा सूचना (NIT) में कोई संशोधन किया जाता है, तो उसकी सूचना केवल उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
3. धरोहर राशि (EMD) का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

प्रतिबंधित पॉलीथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री,
इन्दौर नगर पालिक निगम
संधारण खण्ड क्रमांक-1, मण्डलेश्वर

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9 बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स)	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्याः APMEIN4000142306 (पुराना) 80300005652002 (नया) (इंदौर ब्रांच) आनंद गोरा (उधारकर्ता) लक्ष्मी नारायण जाट, गीताबाई गोरा (सह-उधारकर्ता)	09.07.2026 रु. 52,42,666/- (03.07.2026 तक)	"वह पूरी संपत्ति जिसमें जमीन और इमारत शामिल हैः ग्राम बचखल, जमीन सर्वे नंबर 335, तहसील खातेगाँव, क्षेत्रफल 0.13 हेक्टेयर, ज़िला देवास, मध्य प्रदेश, 455336; संपत्ति की सीमाएँ:- उत्तर में रास्ता और रमेश डुडी की जमीन, दक्षिण में सड़क, पूर्व में सड़क, पश्चिम में सत्यनारायण की सर्वे नंबर 335/2 वाली जमीन।"
2.	(ऋण खाता संख्याः APMEBDN000092578 (पुराना) 80400005561738 (नया) (उज्जैन ब्रांच) गोपाल पुत्र पदम सिंह (उधारकर्ता) मानकुंवर कुंवर, पदम सिंह (सह-उधारकर्ता)	09.07.2026 रु. 19,85,922/- (03.07.2026 तक)	"जमीन और इमारत वाली वह पूरी प्रॉपर्टी जिसका विवरण इस प्रकार हैः प्लॉट नंबर 34, पीएच नंबर-80, खसरा नंबर 267, ग्राम-नारायण, तहसील-महिदपुर, ज़िला-उज्जैन, मध्य प्रदेश-456443, क्षेत्रफल- 4180 वर्ग फीट। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - उद्यम सिंह का घर, दक्षिण - प्रताप सिंह का घर, पूर्व - आम रास्ता, पश्चिम - अपनी जमीन"
3.	(ऋण खाता संख्या : APMEINR000067830 (पुराना) 80400005768870 (नया) APMEINR000095519 (पुराना) 80300005774880 (नया) (इंदौर शाखा) जितेंद्र पुत्र राजाराम (उधारकर्ता) लक्ष्मी बाई, श्याम जामलिया, शुभम जामलिया (सह-उधारकर्ता)	08.07.2026 रु. 14,37,660/- (03.07.2026 तक)	"मकान नंबर 41, सर्वे नंबर 425/2, पीएच नंबर 48/139, मजरा दौलतपुरा, ग्राम पंचायत डिग्लाया, तहसील पीथमपुर और जिला धार, मध्य प्रदेश, 454001, 2240 वर्ग फुट की संपत्ति की सीमाएं: - उत्तर - सड़क, दक्षिण - स्व भूमि फिर श्री रामचंद्र की कृषि भूमि, पूर्व - श्री प्रहलाद पुत्र श्री का घर। गिरधारी, पश्चिम - श्री राधेश्याम का प्लॉट"
4.	(ऋण खाता संख्या : APMEIN1000083378 (पुराना) 80400005657451 (नया) (इंदौर शाखा) विजय पुत्र लाखन (उधारकर्ता) लाखन कर्मा, मनीष कर्मा, सुमन बाई (सह-उधारकर्ता)	06.07.2026 रु. 21,93,247/- (03.07.2026 तक)	"वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें जमीन की कीमत वाली बिल्डिंग शामिल है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः पीएच नं. 32, मकान नं. 160, ग्राम और ग्राम पंचायत-सताजना गाँवथान, तहसील-सनावाद, ज़िला खरगोन, म.प्र.- 451111, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फीट। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर में खरगोन-सनावाद रोड, दक्षिण में लक्ष्मण बादल का घर, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में अनोखचंद का घर।"

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः देवास, उज्जैन, धार, खरगोन
दिनांकः 24.07.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

इंडियन बैंक Indian Bank (इलाहाबाद ALLAHABAD)

इंडियन बैंक, RAPC, इन्दौर
विंग ए, चौथी मंजिल, एलआईसी टॉवर, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर म.प्र. 452008.

विक्रय सूचना का प्रकाशन (ई-नीलामी द्वारा)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रुप से निम्न उल्लेखित ऋणी एवं जमानतदार को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / प्रभारित की गई है, जिसका **सांकेतिक कब्जा** इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसे संपत्ति के ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार से इंडियन बैंक,सुरक्षित लेनदार को देय निम्न उल्लेखित राशि की वसूली हेतु **27.08.2026** को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर विक्रय किया जाएगा।
ई-नीलामी मोड के माध्यम से ब्रिकी के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं.	ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार	संपत्ति का विस्तृत विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / सुरक्षित ऋण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली बढ़ाने की राशि
1	**1) मेसर्स बैटरवर्ल्ड फ्यूचरवर्क्स प्रोप्रायटर श्री जयेश वाधवानी पिता श्री भीषम वाधवानी (उधारकर्ता) 2) श्री भीषम वाधवानी पिता श्री मोहन दास वाधवानी (जमानतदार एवं बंधककर्ता) 3) श्रीमती सोनिया वाधवानी पति श्री भीषम वाधवानी (जमानतदार एवं बंधककर्ता)** **पता 1:** हाउस पर्ल विला नं. 27, भूमि एन्क्लेव, सिल्वर स्प्रिंग्स, ए.बी. रोड बायपास, इंदौर - 452001 **पता 2:** एम-421, खातीवाला टैंक, सिंधी कॉलोनी के पास, इंदौर-452014 **शाखा:** बंगाली चौराहा, इंदौर	1. प्लाट नं. 112, वसुंधरा ग्राम, गोशीखेड़ा तहसील, डॉ. अंबेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) पर निर्मित आवासीय संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं अंश, जिसका **क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट (30*50)**, चर्तुसीमा : पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में प्लाट नं. 135, उत्तर में प्लाट नं. 113 तथा दक्षिण में कॉलोनी रोड, **संपत्ति मालिक** : श्रीमती सोनिया वाधवानी पति श्री भीषम वाधवानी हैं। **संपत्ति आईडी: IDIB739282638101**	18.04.2026 / 09.07.2026 / Rs.26,09,188/- as on 20.07.2026	Rs.13,50,000/- / Rs.1,35,700/- / Rs. 10,000/- Property Location
		2. प्लाट नं. 135, वसुंधरा ग्राम, गोशीखेड़ा तहसील, डॉ. अंबेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) पर निर्मित आवासीय संपत्ति का संपूर्ण भाग एवं अंश, जिसका **क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट (30*50)**, चर्तुसीमा : पूर्व में प्लाट नं. 112, पश्चिम में कॉलोनी रोड़, उत्तर में प्लाट नं. 134 तथा दक्षिण में कॉलोनी रोड, **संपत्ति मालिक** : श्री भीषम वाधवानी पिता श्री मोहनदास वाधवानी। **संपत्ति आईडी: IDIB739282638102**		Rs.13,50,000/- / Rs.1,35,700/- / Rs. 10,000/- Property Location

उपरोक्त संपत्तियों पर भार : कुछ नहीं
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 27.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
बोलीदाताओं को ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता PSB Alliance Pvt. Ltd की वेबसाइट **(https://baanknet.com)** पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया PSB Alliance Pvt. Ltd Helpdesk No. 8291220220, email ID'- support.baanknet@psballiance.com एवं सेवा प्रदाता हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। PSB Alliance Pvt. Ltd के साथ पंजीकरण की स्थिति और ईएमडी की स्थिति के लिए कृपया support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें।
संपत्ति विवरण और संपत्ति की तस्वीर व नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** देखें एवं इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्प लाइन नंबर '**Helpdesk No.8291220220** पर संपर्क करें।
बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे **https://baanknet.com** की वेबसाइट में संपत्ति की खोज करते समय उक्त उल्लेखित संपत्ति आईडी नंबर का उपयोग करें।

स्थानः इंदौर
दिनांक : 21.07.2026

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक